मई, 2009 MAY, 2009

## बीमा सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा मरीन पोतकाय

## EXAMINATION FOR INSURANCE SURVEYORS MARINE HULL

कुल अंक : 100 समय : 3 घंटे 1 [Total Marks: 100 Time: 3 Hours] किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं परन्तु यह अनिवार्य नहीं। शेव सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक 12 अंक हैं। Answer eight Questions only. Question one carries 16 Marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each. Marks जब कोई पोत किसी बीमित आपदा के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, किन्त 16 उसकी समग्र क्षति नहीं होती, तब सर्वेक्षण के लिए क्या आवश्यकताएँ होती हैं? When a ship is seriously damaged by an insured peril but is not totally 16 lost, what are the requirements for survey? पोत को टक्कर लगने के फलस्वरूप इंजिन कक्ष में एक बॉयलर फट जाता है, जिसके 12 कारण निम्नलिखित हानि/क्षित होती है:-₹. 80,000 बॉयलर को मरम्मत करने का खर्च ii) बॉयलर के फटने से इंजिन कक्ष तथा पोत के अन्य भागों को - रू. 1,00,000 हुई क्षति को मरम्मत करने का खर्च कुल - रू. 1,80,000 यदि हल तथा मशीनरी का बीमा इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉज़ेज़ - हल्स 1.10.83 के तहत हुआ हो तब समझाएं कि इस दावे से कैसे निपटा जाएगा? 12 Arising out of collision of the vessel a boiler in the engine room bursts, causing following loss/damage:-Rs. 80,000 Cost of repairing boiler ii) Cost of repairing damage to engine room and other - Rs. 1,00,000 parts of ship damaged by bursting of the boiler. Rs. 1,80,000 Total -Explain how this claim will be dealt with if the hull and machinery are insured subject to Institute Time Clauses-Hulls, 1.10.83

(प्रत्येक के 6 अंक)

- 3. उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके अंतर्गत निम्नलिखित घटित हो सकती हैं :
  - क) एक पोत की वास्तविक समग्र हानि
  - ख) एक पोत की प्रलक्षित समग्र हानि
- 3. Describe the circumstances under which the following may occur:-6 each a) Actual Total Loss of a ship
  - b) Constructive Total Loss of a ship
- किसी पोतकाय पॉलिसी के तहत आई. टी. सी. हल्स 1.10.83 की ¾ टक्कर देयता धारा 12 किस प्रकार एक बीमाकर्ता की देयता को बढ़ा देती है? इस धारा के प्रावधानों को संक्षेप में बताएँ।
- How does the 3/4 the collisions Liability Clause of ITC-Hulls 1.10.83 extend the liability of an insurer under a hull policy? Summarize the provisions of the clause.
- 5. निम्नलिखित के अंतर्गत एक पोत की तरणयोग्यता की वारंटी क्या है : (प्रत्येक के 6 अंक)
  - समुद्री यात्रा पॉलिसी
  - ii) समय पॉलिसी?
- 5. What is the warranty of seaworthiness of a ship under the following:
  - Voyage Policy i)
  - ii) Time Policy?
- एक पोत, एक के बाद एक लगातार दो वर्षों के लिए आई. टी. सी. हल्स 1.10.83 के तहत बीमित होता है। 1.1.2007 से 12 महीनों के लिए, तथा 1.1.2008 से 12 महीनों के लिए।

1.9.2007 को उसे पेंदा अवरोध से क्षति होती है जो बेमरम्मत रह जाती है, तथा 1.3.2008 को आग से उसकी प्रलक्षित समग्र हानिः हो जाती है। पेंदा अवरोध से होने वाली उस क्षति पर, जिसकी मरम्मत नहीं हुई थी। बीमाकर्ता की देयता पर टिप्पणी दें।

A vessel is insured under ITC-Hulls 1.10.83 for two consecutive years: from 1.1.2007 for 12 months and from 1.1.2008 for 12 months. On 1.9.2007 she sustains stranding damage which remains unrepaired, and on 1.3.2008 she becomes a constructive total loss following a fire. Comment on the insurer's liability for unrepaired stranding damage. 7. प्रोटेक्शन ऐंड इंडेमनिटी क्लबों द्वारा जिन मुख्य जोखिमों की जिम्मेवारी ली जाती है, उनके 12 बारे में संक्षेप में बताएँ। Briefly explain the main risks undertaken by the Protection and Indemnity 12 Clubs? पोतकाय बीमा पॉलिसी के संदर्भ में प्रस्ताव प्रपत्र के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं तथा 12 विवरणों का उल्लेख करें। State the information and details required in the Proposal Form under a 12 hull insurance policy. 'साल्वेज प्रभार' की परिभाषा दें । ऐसे प्रभार किस प्रकार निम्नलिखित से अलग होते हैं : 12 सामान्य बीमा क्षति व्यय ii) सू ऐंड लेबर प्रभार 9. Define "Salvage Charges". In what way do such charges differ from: 12 General Average Expenditure ii) Sue and Labour Charges 10. पोत एम. व्ही. नालन्दा इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉज़ेज़ हल्स 1.10.83 के तहत बीमित था। बीमा अविध के दौरान, बीमाकर्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के, पोत ने भंग होने की नियत से जलयात्रा शुरू कर दी थी। रास्ते में पोत की वास्तविक समग्र हानि हो जाती है। बीमाकर्ताओं पर जो दावा किया जा सकता है, उस पर कारण सहित चर्चा करें। 10. Vessel M.V "NALANDA" was insured under Institute Time Clauses-12 Hulls, 1.10.83. During the currency of the insurance, the vessel had, without previous notice thereof to the insurers, sailed with the intention of being broken up. On the way, the vessel becomes an actual total loss. Discuss with reason the claim that may be made on the insurers.

---- समाप्त ----